(93)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 994-तीन/2009 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 4-7-2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 494/2008-09 अपील

श्रीमती जया देवी पत्नि राजनारायण तिवारी
वार्ड क्र-13 मेहर जिला सतना मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री कृष्णपाल सिंह)
((अनावेदक की ओर से कोई नहीं)

आ दे श

(आज दिनांक 07 - 6-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 494/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-7-2009 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक के अभिभाषक ने कलेक्टर सतना के समक्ष उपस्थित होकर माँननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन कमांक 5953/2005 में पारित आदेश दिनांक 2-9-2005 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर मौजा मैहर की आराजी कमांक 1076 रकबा 0.077 हैक्टर के सम्बन्ध में कार्यवाही की मॉग की। कलेक्टर सतना ने प्रकरण कमांक 1 अ-5/2005-06 पॅजीबद्ध कर कार्यवाही के दौरान पाया कि मूल मामला अनुविभागीय अधिकारी की

क्षेत्राधिकारिता का है उन्होंने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी मैहर की ओर निराकरण हेतु अग्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी मैहर ने प्रकरण कमांक 1 एस-5/05-06 पॅजी किया तथा आदेश दिनांक 30-12-2005 पारित करके खसरे में भूमि सर्वे कमांक 1076 का रकबा 0.073 है. के स्थान पर 0.033 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 1077 रकबा 0.010 है. के स्थान पर 0.052 है. दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 494/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-7-2009 से अपील निरस्त की । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो में अंकित आधारों , अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मैहर के समक्ष सुनवाई के दौरान मांग की है कि मौजा मेहर की भूमि सर्वे नंबर 1976 का रकबा 0.077 हैक्टर है जो वर्ष 1958-59 की खतौनी में दर्ज है किन्तु नक्शे में आकृति कम बनी है इसलिये सुधार किया जावे। जब राजस्व निरीक्षक ने नक्शे के अनुपात में स्थल का सीमांकन किया , मौके के अनुसार स्थिति यह पाई गई कि नक्शे में सर्वे नंबर 1976 की जो आकृति बनी है अर्थात सर्वे नंबर 1976 की जो सीमायें नक्शे में रेखांकित है मौके पर उतनी भूमि नहीं है क्योंकि मौके पर नक्शे के अनुपात में रकबा 0.033 हैक्टर ही होना पाया गया है। इसी आराजी के नजदीक जो सर्वे नबर 1077 की आराजी है नक्शे के अनुपात में उसका रकबा 0.042 हैक्टर है जो मौके पर नप्ती में पाया गया है जबकि खसरे में सर्वे कमांक 1077 का रकबा 0.010है. अर्थात कम रकबा लिखा है । नक्शा स्थाई राजस्व अभिलेख है जबकि खसरा नक्शे के मान से संधारित किये जाने वाला अभिलेख है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मैहर ने प्रकरण कमांक1 एस-5/05-06 पारित आदेश दिनांक

30-12-2005 से मौके पर उपलब्ध रकबे एंव स्थाई नक्शे में पाई गई स्थिति अनुसार रकबा सही करने का आदेश पारित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 494/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-7-2009 से अनुविभागीय अधिकारी मैहर के आदेश को सही होना माना है। अनुविभागीय अधिकारी मैहर के आदेश दिनांक 30-12-2005 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 4-7-2009 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 494/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-7-2009 उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर